# उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981

### (The U-P-Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 34 सन 1972) कीधारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

### भाग — एक-(Part-I)-सामान्य (General)

- 1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (Short Title And Commencement)- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमवली 1981 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
- 2. परिभाषाएँ (Definitions)— (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में
  - (क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 (उतर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 ) से है,
  - (ख)नियम 3 में निर्दिष्ट अध्यापकों के सम्बन्ध में **"नियुक्ति प्राधिकारी**" का तात्पर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है,
  - (ग) "बेसिक स्कूल" का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहाँ कक्षा एक से आठ तक शिक्षा दी जाती है।
  - (घ) "परिषद्" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है।
  - (ड) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष से है।
  - (च) **"जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी"** का तात्पर्य किसी विशिष्ट जिले के लिए सरकार द्वारा इस रूपमें नियुक्त अधिकारी से है।
  - (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
  - (ज) **"जूनियर बेसिक स्कूल"** का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहाँ कक्षा एक से पाँच तक शिक्षा दी जाती है
  - (झ) **"स्थानीय क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर कोई रस्थानीय निकाय अधिकारित का प्रयोगकरता है।
  - (ञ) "नर्सरी स्कूल" का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जिसमें साधारणतया छः वर्ष तक की अयु के बच्चों को कक्षा एक से नीचे की कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है।
  - (ट) **"ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसेक्षेत्र से है जिस पर (जिला पंचायत) अधिकारिता का प्रयोग करता है।
  - (ठ) "चयन समिति" का तात्पर्य नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति से हैं.
  - (ड) "सीनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहाँ कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा दी जाती है.
  - (ढ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा से है,

- (ण) **"अध्यापक"** का तात्पर्य नर्सरी स्कूल, बेसिक स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में, शिक्षा देने के लिए नियोजित व्यक्ति से है,
- (त) **"प्रशिक्षण संस्था"** का तात्पर्य अध्यापन में मान्यता प्राप्त प्रमाण–पत्र पाठयक्रम के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था से है।
- (थ) **"प्रशिक्षण"** का तात्पर्य सरकार द्वारा समय—समय पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षित करने हेतु मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से है जिसमें प्रवेश पाने के लिए स्नातक उपाधि धारक पात्र है,
- (द) "नगरीय स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसेक्षेत्र से है जिस पर नगर निगम नगर पचायत या टाउन एरिया कमेटी, या नोटीफाइड कमेटी अधिकारिता का प्रयोग करती है.
- (ध) **"अध्यापक पात्रता परीक्षा"** का तात्पर्य सरकार या भारत सरकार द्वारा सचालित अध्यापक पात्रतापरीक्षा से है।
- (न) **"अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीणांक"** वह होगा जो समय—समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (प) "प्रशिक्षु शिक्षक" का तात्पर्य किसी ऐसे अभ्यर्थी से है, जिसने बीoएडo /बीoएडo (विशेष शिक्षा) /डीoएडo (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण कर ली हो और अध्यापक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली हो और जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनoसीoटीoईo) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में छः माह में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् जूनियर बेसिक स्कल में सहायक अध्यापक के रूप में अन्तिम नियुक्ति के लिये चयनित किया गया है।
- (फ) "शिक्षामित्र" का तात्पर्य बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्रारम्भ होने के पूर्व से, शासनादेशों के अधीन इस रूप में कार्यरत।
- (2) इस नियमावली में स्पष्ट रूप से अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समन्देशित है।

### 3. प्रवर्तन की सीमा (Extent of Application)—यह नियमावली—

(एक) अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिषद को स्थानान्तरित स्थानीय निकायों के समस्त अध्यापकों पर और (दो) परिषद् द्वारा स्थापित बेसिक और नर्सरी स्कूलों के लिए नियोजित समस्त अध्यापकों पर लागू होगी।

### भाग-दो Part-II- संवर्ग और सदस्य संख्या (Cadre and Strength)

- 4. सेवा की सदस्य संख्या (Strength Of The Service)—(1) इस नियमावली के अधीन प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए सेवा के अलग—अलग संवर्ग होंगे।
- (2) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्यापक वर्ग के संवर्ग की सदस्य संख्या और संवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद् द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से समय—समय पर अवधारित की जाये,

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को या किसी वर्ग में पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या परिषद् उसे स्थिगत रख सकती है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

परन्तु यह और कि परिषद् सरकार के पूर्वानुमोदन से समय—समय पर उतनी संख्या में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

### भाग-तीन (Part II)- भर्ती (Recruitment)

**5. भर्ती के स्रोत (Sources of Recruitment)**— नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के पदपर भर्ती की रीति निम्नलिखित होगी—

(ক)	(एक) नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका	सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 14 और 15 मेंउपबन्धित
		है
	(दो) जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक	सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 14 15 में उपबन्धित है।
	अध्यापक और सहायक अध्यापिकागण	अथवा
		बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूल
		में, उत्तर पद्रेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (उन्नीसवॉ
		संशोधन) नियमावली 2014 के प्रारम्भ होने के दिनांक को
		शिक्षामित्र के रूप में नियुक्त एवं इस रूप में कार्यरत ऐसे
		शिक्षामित्र की नियुक्ति द्वारा।
(ख)	(एक) नर्सरी स्कूलों की प्रधान अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपस्थित है।
	(दो) सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक	पदोन्नित द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपस्थित है।
	ओर प्रधान अध्यापिका	
	(तीन) सीनियर बेसिक स्कूलों के विज्ञान	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति
	गणित के सहायक अध्यापक	द्वारा, जैसा कि क्रमशः नियम 15 और नियम 18
		उपबन्धित है।
	(चार) सीनियर बेसिक स्कूलों की विज्ञान	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति
	गणित की सहायक अध्यापिका	द्वारा, जैसा कि क्रमशः नियम 15 और नियम 18
		उपबन्धित है।
	(पांच) सीनियर बेसिक स्कूलों की विज्ञान	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपस्थित है।
	गणित भिन्न विषय के की सहायक अध्यापक	
	(छः) सीनियर बेसिक स्कूलों की विज्ञान गणित	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपस्थित है।
	की सहायक अध्यापिका	
	(सात) सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपस्थित है।
	अयध्यापक	
	(आट) सीनियर बेसिक स्कूलों की प्रधान	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपस्थित है।
	अध्यापिका	

परन्तु यदि उपर्युक्त (पांच) और (छः) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नित के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति नियम 15 में दी गई रीति से सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

### भाग—चार (Part-IV)—आर्हतायें (Qualificiation)

6. आयु (Age)— नियम—5 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) या नियम 5 के खण्ड (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष के जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिए रिक्ति विज्ञप्ति की जायें, अनुवर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को 21 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडढ़े वर्गो के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष या उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर उपबन्धित की जायें:

परन्तुं यह कि उच्चतर आयु सीमा किसी अभ्यर्थी के मामले में जो भूतपूर्व सैनिक है तीन वर्ष से अधिक या जैसा कि समय–समय पर सरकार द्वारा उपबन्धित की जाये. होगीः

परन्तु यह भी कि जहाँ बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी:

परन्तु यह भी कि जहाँ बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति न मिल सकों हो वहाँ उसकी आयु की संगणना के लिए उतनी अविध को जब तक उसे नियुत्ति न कि कहों नहीं गिना जायेगा, यदि नियुक्ति के दिनांक को उसने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की भो—परन्त यह और भी कि उच्चतर आयु सीमा बी०एड०/ एल०्टी०/ वी०पी०एड०/सी०पी०एड० या डी०पी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने वर्ष 1999 में विशेष बी०टी०सी० प्रशिक्षण पाठय पूरा कर लिया हो लागू नहीं होगी। परन्तु यह भी कि उर्दू में प्रवीणता रखने वाले और द्विवर्षीय बी०टी०सी० उर्दू के विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रम पूर्ण कर लेने वाले या विशिष्ट या विशेष बी०टी०सी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले किसी अभ्यर्थी के मामले में उच्चतर आयु सीमा ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाए।परन्तु यह और भी कि मोअल्लिम — ए—उर्दू उपाधि धारकों के मामले में , जिन्होंने दिनाक 11 अगरत 1997 से पहले ऐसी उपाधि प्राप्त कर ली हो, उच्चतर आयु सीमा अधिवर्षिता की आयु से अधिक नहीं होगी।परन्तु यह और भी कि प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में, अभ्यर्थियों के चयन के लिए उच्चतर आयु सीमा ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाये। परन्तु यह और भी कि शिक्षामित्र के मामले में अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक होगी।

- 7. राष्ट्रीयता (Nationality)—इस नियम 5 में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनिया, युगान्डा, और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रंजन किया हो ।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष सेअधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् रोवा में केवल तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी (Note)— ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण— पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनिन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. शैक्षिक अर्हतायें (Academic Qualifications) —(1) नियम 5 के खण्ड (क) मे निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हतायें वही होगी जैसी प्रत्येक के सामने दी गयी है—

पद	शैक्षणिक अर्हताये
(एक)	निकाल दिया गया।

(दो) जूनियर बेसिक स्कूल के सहायकअध्यापक और सहायक अध्यापिकागण

(दो)(क)— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के साथ सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ ऐसी प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र (बी०टी०सी०), द्विवर्षीय बी०टी०सी० (उर्दू), विशिष्ट बी०टी०सी० भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित(विशेष द्विवर्षिय डिप्लोमा या शिक्षा(बी०एल०एड०) में चार वर्षीय उपाधि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, सन्नियम ओर प्रक्रिया) विनियमावली, 2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा(जिस भी नाम से ज्ञात हो) द्विवर्षीय डिप्लोमा, 50 प्रतिशत अंकों के साथ रनातक और शिक्षा रनातक(बी०एड०), परन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में छः माह का सेत् पाठ्यक्रम प्राथमिक अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के अन्दर धारित करना आवश्यक है या प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जोडे जाने वाली कोई प्रशिक्षण सम्बंधी अईतायें और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(दो)(ख)— कोई प्रशिक्षु शिक्षक, जिसने एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में छः माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।

(दो)(ग)— शिक्षामित्र जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि हो और उसने दो वर्षीय बी०टी०सी० दूरस्थ शिक्षा विधि से अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित बी०टी०सी, बी०टी०सी०(उर्दू), विशिष्ट बी०टी०सी० सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो और सरकार द्वारा संचालित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(तीन)— निकाल दिया गया।

(तीन) प्रशिक्ष् शिक्षक

(2) विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या हिन्दी और उर्दू से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन के लिए नियम—5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) या नियम 5 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हताये निम्न प्रकार होगी।

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें, यथास्थिति विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या विशिष्ट भाषा एक विषय के रूप में रही हो, और

- (दो) प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक (बी०एड०) या बी०एड०(विशेष शिक्षा), भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम और सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।
- (3)—नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी पद पर पदोन्नित के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम अनुभव ऐसा होना चाहिए जैसा कि नीचे प्रत्येक के सामने दिखाया गया है :-

पद	अनुभव
(एक)	निकाल दिया गया है।
(दो) जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक और	
सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक	में न्यूनतम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव।
(तीन) सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक	यथास्थिति जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक
	या सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक के
	रूप में न्यूनतम तीन वर्षे का अनुभब परन्तु यदि क्रम संख्या
	(दो) या (तीन) में उल्लखित पदों पर पदोन्नति के लिए
	उपयुक्त या पात्र अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो,
	तो परिषद द्वारा अनुभव की अवधि में शिथिलता देकर
	पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

- (4) उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए नियम—5 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (पाँच)और (छः) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी—
- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें एक विषय के रूप में उर्दू रही हो।
- टिप्पणी—कोई अभ्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि अभ्यर्थी उर्दू विषय में स्नाताकोत्तर उपाधि रखता हो।
- (दो) सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण अर्हता या बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र (बी०टी०सी०), द्विवर्षीय बी०टी०सी० (उर्द्) और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।
- 5. उर्दू माध्यम में अध्यापन हेतु नियम–5 के खण्ड (क ) के उपखण्ड (दो)में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए उर्दू में प्रवीणता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हताएं निम्नवत् होगी —
- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्हता वही होगी जो सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जाये।
- (दो)(क) द्विवर्षीय बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अर्हता और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

#### अथवा

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अध्यापन में डिप्लोमा (उर्दू अध्यापन हेतु) और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो ।

#### अथवा

(ग) अगस्त 11, 1997 के पूर्व मोअल्लिम ए— उर्दू (उर्दू अध्यापक हेतु) और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

- 9. आरक्षण (Reservations)— अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगा।
- 10. भूतपूर्व सैनिकों और कितपय अन्य श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण (Relaxation for ex-servicemen and certain other categories)—भूतपूर्व सैनिकों, सेना के अंगहीन कार्मिकों में मारे गये सेना के कार्मिकों के आश्रितों, सेवाकाल में मृत परिषद् के सेवकों के आश्रितों) और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा शैक्षिक अर्हताओं या और भर्ती की किसी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं में शिथिलीकरण यदि कोई हो, भर्ती के समय प्रवृत्त इस निमित्त सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों के किया जायेगा।
- 11. चिरित्र (Character)— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चिरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
- टिप्पणी (Note)—संघ सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
- 12. वैवाहिक प्रास्थिति (Marital Status)—सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:
- परन्तु परिषद् किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।
- 13. शारीरिक स्वस्थता (Physical Fitness) (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।
- (2) किसी अभ्यर्थी को सीधी द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्साधिकारी का स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।
- 14.(1) (क) रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया जाना (Determination of Vacancies and preparation of List)—नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और सचिव उ०प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को प्रेषित करेगा। सचिव उ०प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार संकलित सूचना परिक्षा निकाय को प्रदान की जायेगी। अधिसूचित रिक्तियों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत परीक्षा निकाय द्वारा संचालित की जायेगी और आरक्षण के अनुसार उसका परिणाम सचिव उ०प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

तत्पश्चात सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा राज्य में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा और विहित शैक्षिक तथा प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से, जिन्होने सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, और सरकार द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें सम्वर्गवार जिला का विकल्प अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

(14)(1) (ख)—निकाल दिया गया।

(14)(1)(ग)— निकाल दिया गया। (14)(1)(घ)— निकाल दिया गया।

- (2) सचिव उ०प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हो और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण हो और नियुक्ति के लिए पात्र हों, एक सूची तैयार करेगा ।
- (3)(क)—नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से क्रमबद्ध किये जायेंगे कि अभ्यर्थी परिशिष्ट—1 में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता अंकों के भारांक के अनुसार क्रमबद्ध किये जायेंगें।

परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर—बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

परन्तु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति को सहायक अध्यापक की भर्ती में दिनांक 25 जुलाई 2017 के पश्चात सरकार द्वारा संचालित दो लगातार सहायक अध्यापक भर्ती में ही भारांक प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा अभ्यर्थियों को उनके गुणवत्ता अंकों एवं विकल्पों के अनुसार सम्वर्गवार जिला आवंटित किया जायेगा और सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

- (ख) निकाल दिया गया।
- (ग) निकाल दिया गया।
- (4)—कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम— (3) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न किया जाये ।
- (5)— नियम 14 के उपनियम—(2) के अधीन तैयार की गई और उप नियम 3 के अनुसार सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज से प्राप्त सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायगी।
- 14(6)(क)— शिक्षामित्र द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षाविधि दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण अथवा बी०टी०सी०, बी०टी०सी० (उर्दू) विशिष्ट बी०टी०सी० सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के मौलिक पद पर नियुक्त किया जायेगा । इनको जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक मोलिक पद पर नियुक्त करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली संख्या भी अवधारित करेगा।
- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे शिक्षामित्रों की, जो नियम 8 के उप नियम (2) के खण्ड (ग) में उपबन्धित अर्हताएं रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र हों, एक सूची तैयार करेगा।
- (ग) जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु बनायी गयी सूची में शिक्षामित्रों के नाम उनके द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त उनके जन्मतिथि के बढ़ते क्रम में रखे जायेगे, अर्थात आयु में ज्येष्ट अभ्यर्थी को उच्चतर रखा जायेगा।
- यदि दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में उनका नाम रखा जायेगा।
- (घ) शिक्षामित्र जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के मौलिक पद पर नियुक्ति हेतु तबतक पात्र नहीं होंगे जब तक उनके नाम इस उप नियम के पूर्णगामी खण्डों के अनुसार तैयार सूची में सम्मिलित न हो।
- (ङ) खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गयी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम—16 के अन्तर्गत गठित चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी ।

- (च) चयन समिति खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गयी सूची एवं शिक्षामित्र के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता से सम्बन्धित प्रमाणपत्रों के परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति सहित सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
- (छ) नियुक्ति प्राधिकारी नियम-20 के अनुरूप आदेश निर्गत करेगा ।
- 15. सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों / अध्यापिकाओं के कतिपय पदों के लिए रिक्तियों की अधिसूचना और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना (Notification of vacancies and preparation of list of eligible candidates for certain postsof Assistant Masters/Mistresses of Senior Basic Schools )
- (1)—नियम 5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) एवं (चार) अथवा नियम 5 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक रिक्ति कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही सम्बन्धित जिले में पर्याप्त प्रसार हो अधिसूचित करेगा ।
- (2)—नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और उपनियम— (1) के अधीन अधिसूचित रिक्ति के अनुसरण में प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की संवीक्षा करेगा और तत्पश्चात ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा और अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा जो विहित अर्हताएं रखने वाले प्रतीत हों तथा नियुक्ति के लिए पात्र हों । सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम उस क्रम में रखे जाएगे जैसा कि नियम 14 के उपनियम (3) के खण्ड (क ) अथवा (ख) के अधीन विहित किया गया है।
- (3)—उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति को अग्रसारित कर दी जाएगी।
- 16. चयन समिति का गठन (Constitution of Selection Committee)— इस नियमावली के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज से प्राप्त सूची के अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों आदि के सत्यापन एवं उनकी नियुक्ति हेतु पात्रता का उदाहरण करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

सदस्य-सचिव

- (क) प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष
- (ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
  - ग) निवा मुखावरा एर राजकीरा बाविका
- (ग) जिला मुख्यालय पर राजकीय बालिका

इण्टरमीडिएट कालेज की प्रधानाचार्या या प्रधानाचार्य, जो वरिष्ठ हो — सदस्य

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट,

एक मजिस्ट्रेट / समूह ख स्तर का अधिकारी - सदस्य

टिप्पणी—यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति, सिम्मिलित नहीं है तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े वर्गों के व्यक्ति, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चयन समिति के सदस्य के रूप में जिला स्तरीय अधिकारियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

17—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—चयन समिति यथास्थिति नियम— 14 के उपनियम (3 के खण्ड (क) या नियम—15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों तथा पात्रता का सत्यापन करेगी। चयन समिति अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन और अवधारण करने के पश्चात अभ्यर्थियों के नामों को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

### भाग –पाँच (Part–V)–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

- 8. पदोन्नित द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Recruitment by Promotion)—
- (1) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नित द्वारा भर्ती अनुपयुक्त का अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्टता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।
- (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेंगी ।
- (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम (2) पात्रता सूची से प्रकट हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

### भाग-छ (Part & VI) -अन्य उपबन्ध (other Provisions)

- 19. मौलिक नियुक्ति (Substantive Appointment) –(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उक्त क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 17 या 17 क या 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियम 5 में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त करेगा । प्रत्येक नियुक्ति अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।
- (2) निकाल दिया गया।
- (3) निकाल दिया गया।
- **20. नियुक्तियाँ आदेश द्वारा की जायेगी (**Appointment to be made by Order)—इस नियमावली के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती )नियमावली, 2008 के अनुसार लिखित आदेशों द्वारा की जायेगी।
- 21. स्थानान्तरण की प्रक्रिया (Procedure for Transfer)—िकसी अध्यापक का स्थानान्तरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमित से और दोनों ही दशा में परिषद के अनुमोदन के नहीं किया जायेगा ।
- 22. ज्येष्ठता (seniority)— (1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूपमें उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जाये, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम सेरित की जायेगी, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 17 या 17—क या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।

- टिप्पणी (Note)—सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहणकरने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विधिमान्य है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 2. किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
- 23. परिवीक्षा (Probation)—(1) मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर सभी व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या परिषद के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अविध की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुभित दे सकता है।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे , अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधिबढ़ायी जाये। ऐसी बढ़ायी गयी अवधि साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

- (4) यथास्थिति, परिवीक्षा—अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथ विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, कोई यदि हो, प्रत्यावर्तित किया जासकता है या उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।
- (5) ऐसा व्यक्ति जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायेंसप्न की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।
- 24. स्थायीकरण (Confirmation)— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति, परिवीक्षा अवधिदो अन्त में या बढ़ायी गयी परिवीक्षा—अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा। यदि उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझा जाये और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ।
- 25. वेतनमान (scales of Pay)—इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक यास्थानापन्न रूप में या अस्थायी अधिकार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

परन्तु प्रशिक्षु शिक्षक को नियुक्ति के उपरान्त, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में छः माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने तक नियत वेतन देय होगा। नियत वेतन वही होगा, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय

**26. परिवीक्षा अवधि में वेतन (**Pay during Probation)— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा—अवधि के दौरान वेतन—वृद्धि) इस शर्त पर दी जायेगी कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधिका गणना वेतन—वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।.

- 27.दक्षतारोक पार करने पर मानदण्ड (Criterion for crossing efficiency Bar)— किसी अध्यापक को—(क) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमित तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसे धीरतया और अपनो सर्वोत्तम योग्यता से कार्य करता हुआ न पाया जाये और उसकी सत्यिनष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।
- (ख) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमित तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी सेवा का अभिलेख निरंतर अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।
- 28. पक्ष समर्थन (Canvassing)—इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से मिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नियुक्ति के लिए उसे अनर्ह कर देगा।
- 29.अधिवर्षिता की आयु (Age of superannuation)—प्रत्येक अध्यापक उस मास के जिसमें उसने अपनी आयु के 62 वर्ष पूरे कर लिये हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह से सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यदि कोई अध्यापक किसी शैक्षणिक सत्र के दौरान सेवा—निवृत्ति होता है जो अध्यापक केरूप में 30 जून को सेवा निवृत्त नहीं होता, सेवा निवृत्त के दिनांक के पश्चात अगले 30 जून तक कार्य करता रहेगा और सेवा की ऐसी अविध नियोजन की बढ़ाई गयी अविध समझी जायेगी ।

## परिशिष्ट—1 [नियम 10(1) (ग)] अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक

क्रमांक	परीक्षा / उपाधि का नाम	गुणतत्ता अंक
1	हाई स्कूल	परीक्षा में प्राप्तांको का प्रतिशत x 10
	<u> </u>	100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांको का प्रतिशत x 10
		100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांको का प्रतिशत x 10
		100
4	नियम—८ की प्रशिक्षण अहर्ताएं	परीक्षा में प्राप्तांको का प्रतिशत x 10
		100
5	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में प्राप्तांको का प्रतिशत x 60
		100
6	<b>भारांक</b> — बेसिक शिक्षा परिषद्	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक,
	द्वारा संचालित जूनियर बेसिक	अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो
	स्कूलों में इस रूप में कार्यरत	
	शिक्षामित्र के रूप में या अध्यापक	
	के रूप में अध्यापन अनुभव	

# परिशिष्ट-2

निकाल दिया गया।

# The U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981

### Part I-General

- **1. Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981.
- (2) They shall come into force at once.
- 2. **Definitions-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U.P. Act 34 of 1972);
  - (b) "Appointing Authority" in relation to teachers referred to in Rule 3 means the District Basic Education Officer;
  - (c) "Basic School" means a school where instructions from Classes I to VIII are imparted;
  - (d) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Basic Education constituted under Section 3 of the Act;
  - (e) "Chairman" means the Chairman of the Uttar Pradesh Board of Basic Education;
  - (f) "District Basic Education Officer" means the officer appointed by the Government as such for a particular district;
  - (g) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
  - (h) "Junior Basic School" means a basic chool where instructions from Classes I to V are imparted;
  - (i) "Local Area" means the area over which a local body exercises jurisdiction;
  - (j) "Nursery School" means a school in which children ordinarily of the age up to six years are taught in classes lower than Class I;
  - (k) "Rural Local Area" means the area over which a (Zila Panchayat) exercises jurisdiction;
  - (I) "Selection Committee" means the Selection Committee constituted under Rule 16;
  - (m) "Senior Basic School" means a Basic School where instructions from Classes VI to VIII are imparted;
  - (n) "Service" means the Uttar Pradesh Basic Education Teachers' Service;

- (o) "Teacher" means a person employed for imparting instructions in Nursery Schools, Junior Basic Schools, or Senior Basic Schools; ip) "Training Institution" means an institution imparting training for recognised certificate courses of teaching;
- (q) "Training" means a training course recognised by the Government or any training qualification notified by National Council for Teacher Education (NCTE) from time to time to teach children from Class I to VIII for which graduates are eligible for admission;
- (r) "Urban Local Area" means the area over which a Nagar Nigam, Nagar Panchayat, Town Area Committee or Notified Area Committee exercise jurisdiction;
- (s) "Teacher Eligibility Test" means the Teacher Eligibility Test conducted by the Government or by the Government of India;
- (t) "Qualifying marks in Teacher Eligibility Test" Qualifying marks in Teacher Eligibility Test will be such as may be prescribed from time to time by the National Council for Teacher Education, New Delhi;
- (u) "Trainee teacher" means a candidate who has passed B.Ed./B.Ed (Special Education)/D.Ed. (Special Education) and has also passed the teacher eligibility test and has been selected for eventual appointment as assistant teacher in Junior Basic School after successful completion of six months special training programme in elementary education recognised by National Council for Teacher Education (NCTE);
- (v) "Shiksha Mitra" means a person working as such in junior basic schools run by Basic Shiksha Parishad under the Government Orders prior to the commencement of Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011;

or

A person who has been a Shiksha Mitra and appointed as an Assistant Teacher in Junior Basic Schools run by Basic Shiksha Parishad and reverted to work as Shiksha Mitra in pursuance of the judgment of the Apex Court in SLP No. 32599/2015 State of U.P. and others v. Anand Kumar Yadav and others.

- (w) "Assistant Teacher Recruitment Examination" means a written examination conducted by the Government for recruitment of a person in junior basic schools run by Basic Shiksha Parishad.
- (x) "Qualifying Marks of Assistant Teacher Recruitment Examination" means such minimum marks as may be determined from time to time by the Government.
- (y) "Guidelines of Assistant Teacher Recruitment Examination" means such guidelines as may be determined from time to time by the Government.
- (2) The words and expressions not expressly defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

- 3. Extent of application These rules shall apply to :
  - (i) All teachers of local bodies transferred to the Board under Section 9 of the Act; and
  - (ii) all teachers employed for the Basic and Nursery Schools established by the Board.

### Part II - Cadre And Strength

- **4. Strength of the Service -** (1) There shall be separate cadres of service under these rules for each local area.
- (2) The strength of the cadre of the teaching staff pertaining to a local area and the number of the posts in the cadre shall be such as may be determined by the Board from time to time with the previous approval of the State Government:

Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Board may hold in abeyance and post or class of posts without thereby entitling any person to compensation :

Provided further that the Board may, with the previous approval of the State Government, create from lime to time such number of temporary posts as it may deem fit.

### Part III - Recruitment

**5. Sources of recruitment -** The mode of recruitment to the various categories of posts mentioned below shall be as follows:

(a)	(i) Mistresses of Nursery Schools	By direct recruitment as provided in Rules 14 and 15;
	(ii) Assistant Masters and Assistant Mistresses of Junior Basic Schools	By direct recruitment as provided in Rules 14 and 15;
(b)	(i) Headmistresses of Nursery Schools	By promotion as provided in Rule 18;
	(ii) Head Masters and Head Mistresses of Junior Basic Schools	By promotion as provided in Rule 18;
	(iii) Assistant Masters of Senior Basic Schools	By promotion as provided in Rule 18;
	(iv) Assistant Mistresses of Senior Basic Schools	By promotion as provided in Rule 18;
	(v) Head Masters of Senior Basic Schools	By promotion as provided in Rule 18;
	(vi) Head Mistresses of Senior Basic Schools	By promotion as provided in Rule 18;

Provided that if suitable candidates are not available for promotion to the posts mentioned at (iii) and (iv) above, appointment may be made by direct recruitment in the manner laid down in Rule 15.

### Part IV - Qualification

**6. Age -** A candidate for recruitment to any post referred to in clause (a) or proviso to clause (b) of Rule 5, must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than thirty-five years on the first day of July following the year in which the vacancy is notified :

Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and dependents of freedom fighters be greater by five years or as provided by the State Government from time to time:

Provided further that the upper age limit shall, in the case of a candidate, who is exserviceman, be greater by three years or as provided by the State Government from time to time:

Provided also that where after successful completion of a course of training prescribed for teachers of basic schools, a candidate could not get appointment due to non-availability of vacancy in the district, the period he has remained unappointed shall not be counted for the calculation of his age if he has not attained the age of more than fifty years on the date of appointment:

Provided also that no upper age limit shall apply in case of B.Ed./L.T./ B.P.Ed./C.P.Ed. or D.P.Ed. trained candidates who have completed special B.T.C. Training Course in the year 1999:

Provided also that in case of candidates having proficiency in Urdu and having completed two years B.T.C. Urdu special B.T.C. training course or completed special BTC training course the upper age limit shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

### 7. Nationality - A candidate for recruitment to a post mentioned in Rule 5 must be :

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly) Tanganayika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c), no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such candidate may be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian citizenship.

**Note** - A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being issued in his favour.

**8. Academic Qualifications – (1)**The essential qualifications of candidates for appointment to a post referred to in clause (a) of Rule 5 shall be as shown below against each -

ا ا		clause (a) of Rule 5 shall be as shown below against each -	
	Post	Academic Qualifications	
	(1)	(i) Omitted	
	(2) Assistant Master of Junior Basic Schools.	(ii)(a) Bachelors degree from a University established by law in India or a degree recognised by the Government equivalent there to together with any other training course recognised by the Government as equivalent thereto together with the training qualification consisting of a Basic Teacher's Certificate (BTC), two year BTC (Urdu), Vishist BTC. Two year Diploma in Education (Special Education) approved by Rehabilitation council of India or four year Degree in Elementary Education (B.El.Ed.), two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the National Council of Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure), Regulations, 2002, or any training qualifications to be added by National Council of Teacher Education.	
		and	
		Teacher Eligibility Test passed conducted by the government or the Government of India.	
		(aa) Graduation with atleast fifty percent marks and Bachelor of Education (B.Ed.), provided that the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointed as primary teacher or any traning qualification to be added by National Council of Teacher Education for te recruitment of teachers in primary education and Teacher Eligibility Test passed conducted by the government or the Government of India.	
		(b) A Trainee Teacher who has completed successfully six months special training programme in elementary education recognised by NCTE.	
ľ		(c) A Shikshamitra who possessed bachelors degree from a University established by law in India or a degree recognised by the Government equivalent thereto and has completed successfully two year distant learning B.T.C. course or Basic Teacher's Certificate (B.T.C.), Basic Teacher's Certificate (B.T.C.) (Urdu) or Vishisht B.T.C. conducted by the State Council of Educational Research and Training (SCERT) and passed the Teacher Eligibility Test conducted by the Government or by the Government of India and passed Assistant Teacher recruitment Examination conducted by the Government.	
	(3)Trainee Teacher	Ommited	

- (2) The essential qualifications of candidates for appointment to a post referred to in subclauses (iii) and (iv) of clause (b) of Rule 5 or under the proviso to clause (b) of Rule 5 for teaching Science, Mathematics, Craft or any language other than Hindi and Urdu shall be as follows—
- (i) A Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government equivalent thereto with Science, Mathematics, Craft or particular language, as the case may be, as one of the subject, and
- (ii) Training qualification consisting of Basic Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other Training Course recognised by the Government as equivalent thereto or Bachelor of Education (B.Ed.) recognised by the Government or B.Ed. (Special Education) a course recognised by Rehabilitation Council of India (RCI) and passed the Teacher Eligibility Test conducted by the Government or by the Government of India.
- (3) The minimum experience of candidates for promotion to a post referred to in clause (b) of Rule 5 shall by as shown below against each-

Post	Experience
(i) Omitted	
(ii) Headmaster of Junior Basic Schools and Assistant Master of Senior Basic School	At least five years teaching experience as permanent Assistant Master of Junior Basic School;
(iii) Headmaster of Senior Basic School	At least three years experience as permanent Headmaster of Junior Basic School or Assistant Master of Senior Basic School, as the case may be: Provided that if sufficient number of suitable or eligible candidates are not available for promotion to the posts mentioned at serial numbers (ii) or (iii), the field of eligibility may be extended by the Board by giving relaxation in the period of experience.

- (4) The essential qualification of candidates for appointment to the posts referred to in clause (a) and sub-clauses (v) and (vi) of clause (b) of Rule 5 for teaching Urdu Language shall be as follows –
- (i) A Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto with Urdu as one of the subjects.
  - Note. A candidate who does not possess the aforesaid qualification in Urdu, shall be eligible for appointment, if the candidate possesses a Master's Degree in Urdu.
- (ii) Training qualification recognised by the Government as equivalent thereto or Basic Teacher' Certificate (BTC), two years BTC (Urdu) and teacher eligibility test passed, conducted by the Government or by the Government of India.

- **(5)** The essential qualifications of candidates having proficiency in Urdu for appointment to the posts referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 for teaching in Urdu medium shall be as follows -
- (i) A Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. The qualifications for proficiency in Urdu will be such as may be prescribed from time to time by the Government and
- (ii)(a) Training qualification of two years B.T.C. Urdu special training course and teacher eligibility test passed, conducted by the Government of Uttar Pradesh or by the Government of India.
- (b) Diploma in Teaching from Aligarh Muslim University (for teaching Urdu) and teacher eligibility test conducted by the Government or by the Government of India.

or

- (c) Mualim-e-Urdu Degree obtained before August 11, 1997 (for teaching Urdu) and Teacher Eligibility Test passed conducted by the Government or by the Government of India.
- **9. Reservations. -** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, dependants of freedom fighters, ex-servicemen and other categories shall be in accordance with the Uttar Pradesh Act and the orders of the State Government in force at the time of recruitment.
- **10.** Relaxation for ex-servicemen and certain other categories. Relaxation, if any, from the maximum age-limit, educational qualifications or/and any procedural requirements of recruitment in favour of the ex-servicemen, disabled military personnel, dependants of military personnel dying in action, dependants of board's servants dying in harness and sportsmen shall be in accordance with the general rules or orders of the Government in this behalf in force at the time of recruitment.
- **11. Character -** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.
- **Note-** Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a local authority or a Corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for employment. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
- **12. Marital status -** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a person already having a wife living, shall not be eligible for appointment to the service :

Provided that the Board may, if satisfied that there exists special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**13. Physical fitness -** (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

- (2) Before a candidate is finally approved for appointment by direct recruitment he shall be required to produce a medical certificate of fitness of a Chief Medical Officer.
- 14. Procedure of Selection (1) Determination of vacancies. In respect of appointment, by direct recruitment to the post of Assistant Master of Junior Basic Schools under clause (a) of Rule 5, the appointing authority shall determine the number of vacancies as also the number vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories under Rule 9 and forward to the Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj. Information of compiled vacancies as per reservation shall be provided by the Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj to the Examination Body. For the notified vacancies an Assistant Teacher Recruitment Examination shall be conducted by the Examination Body authorised as such by the Government and result, according to reservation, shall be provided to Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj.

Thereafter, an advertisement for recruitment will be published in at least two leading daily newspapers having adequate circulation in the State by the Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj inviting online applications from candidates possessing prescribed educational and trainings qualification and passed teacher eligibility test, conducted by the Government or by the Government of India and passed Assistant Teacher Recruitment Examination conducted by the Government, in which cadre wise district option will be filled by the candidates.

- (2) The Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj shall scrutinise the applications received in pursuance of the advertisement under clause (a) sub-rule (1) of Rule 14 and prepare a list of such persons who possess the prescribed academic qualifications and passed Assistant Teacher Recruitment Examination and be eligible for appointment.
- (3) The name of candidates in the list prepared under sub-rule (2) in accordance with clause
- (a) of sub-rule (1) of Rule 14 shall then be arranged in such manner that the candidate shall be arranged in accordance with the quality points and weightage as specified in the Appendix(I):

Provided that if two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher.

Provided that a person working as Shiksha Mitra in Junior Basic Schools run by Basic Shiksha Parishad shall be given weightage in the recruitment of Assistant Teacher, only in two consecutive Assistant Teacher recruitment conducted by the Government after July 25, 2017.

Thereafter, cadre wise district will be allotted to the candidates as per their quality points and options by the Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj and list will be sent to the appointing authority.

- (4) No person shall be eligible for appointment unless his or her name is included in the list prepared under sub-rule (3).
- (5) The list prepared under sub-rule (2) and received in accordance with sub-rule (3) of Rule 14 from the Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj, shall be forwarded by the appointing authority to the Selection Committee.
- 15. Notification of vacancies and preparation of list of eligible candidates for certain posts of Assistant Masters/Mistresses of Senior Basic Schools (1) In respect of an

appointment by direct recruitment to the post of Assistant Master or Assistant Mistress of Senior Basic School under the proviso to Rule 5(b) the appointing authority shall notify every vacancy to the Employment Exchange and also in at least one newspaper having adequate circulation in the locality.

- (2) The appointing authority shall scrutinise the applications received in pursuance of the advertisement and the names of candidates received from the Employment Exchange in pursuance of the vacancy notified under sub-rule (1) and shall thereafter, prepare a list of such persons as appear to possess the prescribed educational qualifications and be eligible for appointment. The order in which name of eligible persons shall appear in the list shall be as prescribed under sub-rule (4) of Rule 14.
- (3) The list prepared under sub-rule (2) shall be forwarded by the appointing authority of the Selection Committee constituted under Rule 16.
- **16. Constitution of District Selection Committee -** For appointment to any post under these rules there shall be constituted a Selection Committee for verification of academic records etc. and determining the eligibility for appointment of candidates of the list obtained from the Secretary, Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj, comprising -
  - (a) Principal, District Institute of Education and Training

- Chairman

(b) District Basic Education Officer

- Secretary

(c) Senior-most Principal of Government Intermediate College or

Government Girls Intermediate College at the District Headquarters

-Member

(d) One Magistrate/Class II Officer nominated by District Magistrate

- Member

**Note-** If the Selection Committee constituted in the aforesaid manner does not include persons belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes then the persons belonging to such Castes, Tribes or Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the District Magistrate from amongst District Level Officers as member of the Selection Committee.

- 17. Procedure for direct recruitment- The Selection Committee shall verify the academic records and eligibility of candidates on the basis of the list referred to in clause (a) of sub-rule (3) of Rule 14 or sub-rule (2) of Rule 15. After verification and determining the eligibility of candidates the Selection Committee shall forward the name of the candidates to the appointing authority.
- 17A. Procedure for direct recruitment to a post for teaching subjects other than language(1) The Selection Committee shall consider the candidates for selection on the basis of the list referred to in sub-rule (6) of Rule 14 or sub-rule (2) of Rule 15, as the case may be, and prepare a list of selected candidates in the order in which their names appear in the said list. If two or more candidates have equal quality points, the name of the candidate who is senior in age shall be placed higher in the list. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.
- (2) The list prepared under sub-rule (1) shall remain valid for one year from the date of its preparation.
- (3) Where the number of selected candidates is more than the number of vacancies and all the selected candidates do not get appointments under sub-rule (1) of Rule 19, the District

Basic Education Officer shall forward the list of such selected candidates as have not been able to get appointment due to non-availability of vacancies, along with their applications and other particulars, to the Regional Assistant Director of Education (Basic), for the purposes of utilising the list in a district within his region where sufficient number of selected candidates are not available to fill the vacancies in such district.

- (4) On receiving the list referred in sub-rule (3), the Regional assistant director of Education (Basic), shall forward the list alongwith the applications and other particulars of the selected candidates, to a District Basic Education Officer within his region, where sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies. In so forwarding the list, the Regional Assistant Director of Education (Basic) shall take into account the options given by selected candidates in regard to his posting in districts.
- (5) On receiving the list referred to in sub-rule (4), the District Basic Education Officer shall place the list alongwith applications and other particulars of the candidates, before the Selection Committee constituted under Rule 16.
- (6) The selection committee shall consider the candidates mentioned in the list referred to in sub-rule (4) and prepare a list of selected candidates in accordance with sub-rule (1) and include their names at the bottom in the list prepared under sub-rule (1) and forward the entire list to the appointing authority.
- (7) Where the list forwarded to the Regional Assistant Director of Education (Basic) under sub-rule (3) cannot be utilised in his region due to nonavailability of vacancies, the Regional Assistant Director of Education (Basic) shall forward the list of the Secretary of the Board who shall thereafter forward the list to a District Basic Education Officer in whose district sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies. In so forwarding the list, the Secretary of the Board shall take into account the options given by selected candidates in regard to their postings in districts.
- (8) On receiving the list referred to in sub-rule (7), the District Basic Education Officer shall place the list alongwith applications and other particulars of the candidates, before the selection committee constituted under Rule 16.
- (9) The Selection Committee shall consider the candidates mentioned in the list referred to in sub-rule (7), and prepare a list of selected candidates in accordance with sub-rule (1) and include their names at the bottom in the list prepared under sub-rule (1) and forward the entire list to the appointing authority.]

### Part V - Procedure For Recruitment By Promotion

- **18. Procedure for recruitment by promotion -** (1) Recruitment by promotion to the posts referred to in clause (b) of Rule 5 shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the Selection Committee constituted under Rule 16.
- (2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates in order of seniority and place it before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.
- (3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2).
- (4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as disclosed from the eligibility list referred to in sub-rule (2) and forward the same to the appointing authority.

#### Part VI - Other Provisions

### 19. Substantive Appointment –

- (1)The appointing authority shall make appointment to any post referred to in Rule 5 by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under Rule 17 or 18, as the case may be. The character verification will be done by every appointed candidates compulsorily.
- (2) Omitted.
- (3) Omitted.
- **20. Appointment to be made by order -** All appointments made under these rules shall be made by means of written orders.
- **21. Procedure for transfer -** There shall be no transfer of any teacher from the rural local area to an urban local area or vice versa or from one urban local area to another of the same district or from local area of one district to that of another district except on the request of or with the consent of the teacher himself and in either case approval of the Board shall be necessary.
- **22. Seniority -** (1) The seniority of a teacher in a cadre shall be determined by the date of his appointment in a substantive capacity:

Provided that, if two or more persons are appointed on the same date their seniority shall be determined in which their names appear in the list referred to in Rule 17 or 17-A or 18, as the case may be.

- **Note -** A candidate selected by direct recruitment may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him whether the reasons in any particular case are valid or not shall be decided by the appointing authority.
- (2) The seniority of a teacher who has been transferred from one local area to another in accordance with the provisions of Rule 21 shall be placed at the bottom of the list of teachers of the corresponding class or category pertaining to the local area to which he has been transferred, as on the date of orders for transfer are passed, such a persons shall not be entitled to any compensation.
- 23. Probation. (1) All persons on appointment in a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of one year.
- (2) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre of the service or on any other higher post under the Board to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
- (3) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the exact date up to which the extension is granted. Such extension shall not ordinarily exceed two years.
- (4) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation, as the case may be, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, or if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (5) A person who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (4) shall not be entitled to any compensation.

- **24. Confirmation -** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if he is considered fit for confirmation and his integrity is certified.
- **25. Scales of pay -** The scales of pay admissible to persons appointed to any post under these rules whether in a substantive or officiating capacity or as temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- **26. Pay during probation -** A person on probation shall draw during the period of probation increments on the condition that his work and conduct are reported to be satisfactory: Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the appointing authority directs otherwise.
- 27. Criterion for crossing efficiency bar No teacher shall be allowed to cross -
  - (a) the first efficiency bar unless he is found to have worked steadily to the best of his ability and his integrity is certified; and
  - (b) the second efficiency bar, unless he has a consistently good record of service and his integrity is certified.
- **28. Canvassing -** No recommendation, either written or oral, other than those required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.
- **29. Age of superannuation -** Every teacher shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years: Provided that a teacher who retires during an academic session (July 1 to June 30) shall continue to work till the end of the academic session, that is, June 30 and such period of service will be deemed as extended period of employment.